राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 672/2023

दीपिका तिवाड़ी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.01.2023
आदेश की दिनांक : 02.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर फूड सेफ्टी में खाद्य निरीक्षक के पद पर अलवर में पदस्थापित की गई थी। प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेश दिनांक 12.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर में किया गया था, जिसकी पालना में दिनांक 16.08.2022 को कार्यग्रहण किया। परंतु दिनांक 16.08.2022 को ही वापस आदेशों की प्रतीक्षा में पदस्थापन किया गया। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 02.11.2022 को निदेशालय, जयपुर में कार्यग्रहण किया तथा कार्यग्रहण करने के पश्चात् आदेश दिनांक 02.11.2022 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा से सी.एच.सी., रामगढ़, अलवर में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी के पास फूड सेफ्टी में 10 वर्ष का अनुभव है फिर भी अनुभवविहीन कार्मिकों को अपीलार्थी के स्थान पद पदस्थापन रखा गया है तथा अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने के लिए सी.एच.सी., रामगढ़ में पदस्थापन किया गया है।

अतः आलोच्य आदेश दिनांक 02.11.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जावे कि अपीलार्थी को फूड सेफ्टी में ही यथावत अलवर में कार्य करने दिया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन लैब टेक्नीशियन के पद पर फूड सेफ्टी में खाद्य निरीक्षक के पद पर अलवर में पदस्थापित की गई थी। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य